



Neutral Citation No. – 2026:AHC:17422

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 92 वर्ष 2026

राज कुमार

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील	: मंगला प्रसाद शुक्ला, नरेश कुमार पांडे, शिवाकांत दुबे
प्रतिवादी के वकील	: सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान इस रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में संबंधित ग्राम सभा को पक्षकार बनाने और प्रतिवादी संख्या 4 ग्राम सभा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को इस याचिका की प्रति तामील करने की अनुमति दी जाती है।
- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री टीपी गुप्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय की दलीलें सुनीं।
- यह याचिका प्रतिवादी संख्या 2 / राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश देने के लिए दायर की गई है कि वह यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 208 के तहत द्वितीय अपील संख्या 3979/2023, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या AL20230225003979 पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय ले।
- याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत दायर मुकदमे से संबंधित याचिकाकर्ता की दूसरी अपील 2023 से राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि मामले की आदेश पत्र की प्रति याचिका के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न की गई है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले की कार्यवाही में तेजी नहीं आ रही है।

5. मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 को निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। उपर्युक्त द्वितीय अपील संख्या 3979/2023, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या AL20230225003979, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 208 के अंतर्गत, पक्षकारों को कानून के अनुसार सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से सुनवाई की जाए।

6. तदनुसार, रिट याचिका का अंतिम निपटारा किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

27 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"